राजस्व संख्या 118 / 2023
RCMS No. 2023/00447
रामनिवास आदि बनाम जयसिंह आदि
निर्णय दिनांक 17/5/25

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना

जिला झुन्झुनू(राज.)

पीठासीन अधिकारी :- सुमन देवी- II आर.ए.एस.

राजस्व वाद स. 118 / 2023

1. रामनिवास पुत्र महादाराम उम्र 71 साल जाति खाती निवासी शिवसिंहपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
2. कंवर सिंह उम्र 45 साल
3. राजेश कुमार पुत्रान महावीर उम्र 40 साल
4. तारावती पत्नी महावीर उम्र 60 साल
5. ज्योति उम्र 32 साल
6. मुन्नी पुत्रीयान महावीर उम्र 35 साल जाति खाती निवासी शिवसिंहपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.) ....वादीगण

—ब ना म—

1. जयसिंह पुत्र रामस्वरूप
2. सुमन पत्नी दयानन्द जाति अहीर निवासी शिवसिंहपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
3. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
4. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा पचेरी कंला तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.

...............प्रतिवादीगण

दावा – घोषणात्मक व रिकार्ड दुरूस्ती।

उपस्थिति –

1. श्री विजयपाल यादव अधिवक्ता – वादीगण की ओर से ।
2. श्री जगदेव सिंह अधिवक्ता प्रतिवादी [illegible] 2 की ओर से तथा शेष प्रतिवादीगण बावजूद समक्ष तामिल [illegible] उपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.06.18 15:05:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

:: निर्णय :: दिनांक – 17/4/25

वादीगण की ओर से हस्तगत वाद बाबत घोषणात्मक व रिकार्ड दुरूस्ती संक्षिप्ततः इन अभिवचनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि:-

1. यह कि वाके ग्राम शिवसिंहपुरा तहसील बुहाना स्थित भूमि ख.न. 487 रकबा 0.72 है. का रिकार्ड मूल खातेदार वादीगण व उसके शामील खातेदार कुरडाराम व हनुमान जाति खाती के वारिसान व प्रतिवादी सं. 2 की सास श्रीमती पतासी देवी पत्नी जयराम के नाम दर्ज रही है।
2. यह कि उक्त खसरा नम्बर में पतासी देवी भी केता रही है तथा पतासी देवी ने 0.11 है. भूमि ही खरीदी थी तथा 0.11 है. का ही रिकार्ड में नाम दर्ज था शेष भूमि मूल खातेदारान के नाम रही है।
3. यह कि प्रतिवादी सं. 1 ने भी विवादित ख.न. 487 में से 0.16 है. वादी सं. 1 व वादीगण सं. 2 लगायत 6 के पूर्वज से जरिये विक्रय पत्र क्रय की थी।
4. यह कि विवादित भूमि का खाता विभाजन हुआ उस समय खाता विभाजन में ख.न. 487/1 रकबा 0.18 है. व ख.न. 487/5 रकबा 0.12 है. वादी सं. 1 को व ख.न. 487/3 रकबा 0.13 है. वादी सं. 2 लगायत 6 व ख.न. 487/4 रकबा 0.11 है. प्रतिवादी सं. 2 की सास पतासी देवी को दिया गया था।
5. यह कि विवादित खाता विभाजन के बाद प्रति. सं. 1 ने जो भूमि क्रय की थी उसका नाम भी इन्तकाल के आधार सम्वत 2070 ला0 2073 में दर्ज हो गया।
6. यह कि प्रति. सं. 1 के नाम खातेदारी दर्ज होने के बाद जो जमाबन्दी बनी वह जमाबन्दी मौके के आधार पर दर्ज ना होकर गलत दर्ज हो गई जो जमाबन्दी बनी है उसमें ख.न. 2892/487 रकबा 0.18 है. ख.न. 2898/487 रकबा 0.12 है ख.न. 2895/487 रकबा 0.11 है. बने है जो गलत बने है ख.न. 2892/487 का रकबा 0.18 है. के बजाए 0.09 है. बनेगा तथा ख.न. 2898/487 का रकबा 0.12 है. के बजाय 0.11 है. बनेगा व ख.न. 2895/487 रकबा 0.11 है. के बजाय 0.16 है. बनेगा तथा ख.न. 2894/487 रकबा 0.13 है. के बजाय 0.18 है. बनेगा तथा इसी अनुसार मौके पर स्थित है।
7. यह कि हाल रिकार्ड जो बने [illegible] रकबा 0.14 है. बनने के पश्चात प्रति. सं. 1 का नाम हटेगा व वादी [illegible] नाम खातेदारी बनेगी।
8. यह कि ख.न. 2894/487 में [illegible] वादी सं. 2 लगायत 6 के नाम बराबर बराबर खाते[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.06.18 15:05:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

9. यह कि ख.न. 2896 / 487 रकबा 0.11 है. बनने के बाद वादी सं. 1 का नाम हटेगा तथा प्रतिवादी सं. 2 के नाम खातेदारी दर्ज होगी। क्योकि प्रतिवादी सं. 2 अपनी सास पतासी के स्थान पर खातेदार बनी है।

10. यह कि ख.न. 2895रु487 रकबा 0.16 है. बनने के बाद प्रतिवादी सं. 1 खातेदार दर्ज होगा तथा प्रतिवादी सं. 2 का नाम हटेगा व इसी अनुसार समस्त खसरा नम्बरान का रिकार्ड दुरूस्त होगा। इसलिए यह दावा घोष्णात्मक व रिकार्ड दुरूस्ती पेश किया जा रहा है।

11. यह कि ख.न. 2894 / 487 रकबा 0.13 है. में वादी सं. 2 लगायत 6 की जाति खाती के स्थान पर अहीर दर्ज कर दिया जो गलत दर्ज कर दी। इसलिए अहीर के स्थान पर खाती दर्ज की जावेगी।

12. यह कि दावे के लिए आधार विवाद राजस्व कर्मचारीयो द्वारा गलत रिकार्ड बनाने व रिकार्ड की नमल लेने से पैदा हुआ है। अतः दावा सावधि पेश है वैसे भी कानून में दावा घोष्णात्मक व रिकार्ड दुरूस्ती हेतु कोई मियाद निर्धारित नहीं है।

13. यह कि विवादित भूमि वाके ग्राम शिवसिंहपुरा तहसील बुहाना में स्थित है। इसलिये माननीय न्यायालय को उक्त दावा सुनने एवं निर्णित करने का क्षेत्राधिकार है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि:–

(क) कि वाके ग्राम शिवसिंहपुरा तहसील बुहाना स्थित हाल ख.न. 2892 / 487 रकबा 0.18 है. ख.न. 2895 / 487 रकबा 0.11 है. ख.न. 2896 / 487 रकबा 0.12 है. को दुरूस्त किया जाकर ख.न. 2892 / 487 रकबा 0.18 है. के स्थान पर 0.09 है. ख.न. 2895 / 487 रकबा 0.11 है. के स्थान पर 0.16 है. ख.न. 2896 / 487 रकबा 0.12 है. के स्थान पर 0.11 है. दुरूस्त किया जावे तथा ख.न. 2894 / 487 रकबा 0.13 है. के स्थान पर 0.18 है. दुरूस्त किया जावे।

(ख) कि ख.न. 2892 / 487 मे से प्रति.सं. 1 का नाम हटाया जाकर वादी सं. 1 को खातेदार घोषित किया जावे।

(ग) कि ख.न. 2894 / 487 में से प्रति. सं. 1 का नाम हटाया जाकर वादी सं. 2 लगायत 6 को खातेदार कास्तकार घोषित किया जावे।

(घ) कि ख.न. 2896 / 487 में से वादी सं. 1 का नाम हटाया जाकर प्रतिवादी सं. 2 को खातेदार कास्तकार घोषित किया जावे।

(ड) कि ख.न. 2895 / 487 में से प्रति.सं. 2 का नाम हटाया जाकर प्रति.सं. 1 को खातेदार कास्तकार घोषित किया जावे।

(च) कि ख.न. 2895 / 487 में वादी सं. 2 लगायत 6 की जाति अहीर के स्थान पर खाती दर्ज की जावे ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.06.18 15:05:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

राजस्व संख्या 118 / 2023
RCMS No. 2023/00447
रामनिवास आदि बनाम जयसिंह आदि
निर्णय दिनांक 17/4/25

वाद पत्र वादीगण दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई जो सम्यक रूप से होकर प्राप्त हुई प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से श्री जगदेवसिंह अधिवक्ता उपस्थित होकर इकबालीया जवाब दावा पेश कर मुताबिक अनुतोष वादी का दावा डिकी करने की अनुशंषा की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया बहस अधिवक्तागण की सुनी गई पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड से यह स्पष्ट होता की वाद वर्णित ख. न. का रकबा दुरुस्त किये जाने योग्य है तथा जिन–जिन ख.न. में वादीगण व प्रतिवादी की खातेदारी गलत दर्ज हो गई उसके स्थान पर वाद पत्र के अनुतोष मुताबिक डिकी किये जाने योग्य है।

– :: आदेश ::–

अतः वाद वादीगण इस प्रकार अंतिम डिकी किया जाता है कि वाके ग्राम शिवसिंहपुरा तहसील बुहाना स्थित हाल ख.न. 2892 / 487 रकबा 0.18 है. के स्थान पर 0.09 है. ख. न. 2895 / 487 रकबा 0.11 है. के स्थान पर 0.16 है. ख.न. 2896 / 487 रकबा 0.12 है. के स्थान पर 0.11 है. ख.न. 2894 / 487 रकबा 0.13 है. के स्थान पर 0.18 है. दर्ज कर दुरूस्त किये जाने की घोषणा की जाती है। तथा ख.न. 2892 / 487 मे से प्रति.सं. 1 का नाम हटाया जाकर वादी सं. 1 को खातेदार घोषित किया जाता है एंव ख.न. 2894 / 487 में से प्रति. सं. 1 का नाम हटाया जाकर वादी सं. 2 लगायत 6 को खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है एंव ख.न. 2896 / 487 में से वादी सं. 1 का नाम हटाया जाकर प्रतिवादी सं. 2 को खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है एवं ख.न. 2895 / 487 में से प्रति.सं. 2 का नाम हटाया जाकर प्रति.सं. 1 को खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है तथा ख.न. 2895 / 487 में वादी सं. 2 लगायत 6 की जाति अहीर के स्थान पर खाती दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाकर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश तहसीलदार बुहाना को दिया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिकी जारी हो।

(सुमन देवी – आर.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना

यह निर्णय आज दिनांक 17/4/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से मुद्राकिंत कर खुल्ले कोर्ट मे सुनाया गया हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.06.18 15:45:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना

राजस्व संख्या 118 / 2023
RCMS No. 2023/00447
रामनिवास आदि बनाम जयसिंह आदि
निर्णय दिनांक ....

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

पीठासीन अधिकारी :- सुमन देवी , **R.A.S.**

राजस्व वाद स. 118 / 2023

रामनिवास आदि **–ब ना म–** जयसिंह आदि

दावा–घोषणात्मक रिकार्ड दुरूस्ती।

वादीगण की ओर से श्री **विजयपाल यादव एडवोकेट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादीगण की ओर से श्री जगदेव यादव एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख को **सुमन देवी उपखण्ड अधिकारी बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता हैं और डिक्री दी जाती है कि –

" कि वाके ग्राम शिवसिंहपुरा तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल ख.न. 2892 / 487 रकबा 0.18 है. के स्थान पर 0.09 है. ख.न. 2895 / 487 रकबा 0.11 है. के स्थान पर 0.16 है. ख.न. 2896 / 487 रकबा 0.12 है. के स्थान पर 0.11 है. ख.न. 2894 / 487 रकबा 0.13 है. के स्थान पर 0.18 है. दर्ज कर दुरूस्त किये जाने की घोषणा की जाती है। तथा ख.न. 2892 / 487 मे से प्रति.सं. 1 का नाम हटाया जाकर वादी सं. 1 को खातेदार घोषित किया जाता है एंव ख.न. 2894 / 487 में से प्रति. सं. 1 का नाम हटाया जाकर वादी सं. 2 लगायत 6 को खातेदार काास्तकार घोषित किया जाता है एंव ख.न. 2896 / 487 में से वादी सं. 1 का नाम हटाया जाकर प्रतिवादी सं. 2 को खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है एवं ख.न. 2895 / 487 में से प्रति.सं. 2 का नाम हटाया जाकर प्रति.सं. 1 को खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है तथा ख.न. 2895 / 487 में वादी सं. 2 लगायत 6 की जाति अहीर के स्थान पर खाती दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाकर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश तहसीलदार बुहाना को दिया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। इसी अनुसार अंतिम डिक्री जारी की गई" खर्चा पक्षकारान अपना – अपना वहन करेगें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.06.18 15:05:10 IST
Reason: SelfAttested

(सुमन देवी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना